

प्रेषक,

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
 झारखण्ड, रांची।

सेवा में,

सचिव,
 सी०बी०एस०ई० बोर्ड, नई दिल्ली।

रांची, दिनांक 12/3/2008

विषय:- विनम्री विद्यालय, साउथपार्क, बिट्ठुपुर, जमशेदपुर को सी०बी०एस०ई० बोर्ड से सम्बद्धता हेतु
 अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विध्यक विनम्री विद्यालय, साउथपार्क, बिट्ठुपुर जमशेदपुर से प्राप्त आवेदन (आयाप्रति सलमन) पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने इस विद्यालय को सी०बी०एस०ई० बोर्ड से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन मात्र सैद्धान्तिक रूप से अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है। सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व बोर्ड अपनी मानक शर्तों को पूरा करने के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेगा। राज्य सरकार की शर्तें निम्नवत हैं:-

- (i) विद्यालय प्रबंधन को शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व वर्गवार छात्रों की सख्ता, शुल्क, नामांकन प्रक्रिया की पूर्ण सूचना देनी होगी।
- (ii) दस प्रतिशत सीट राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बी०पी०एल छात्रों के लिए अनिवार्य है, साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क ही उन छात्रों से लिया जाएगा। विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह का एक प्रमाण-पत्र विभाग की उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- (iii) राज्य सरकार द्वारा सख्ता को किसी भी उकार का आर्थिक अनुदान देय नहीं होगा।
- (iv) सख्ता द्वारा नामांकन हेतु कोई कैपिटेशन फी/डोनेशन फी नहीं लिया जाएगा।
- (v) विद्यालय में हिन्दी की पढ़ाई अनिवार्य होगी।
- (vi) विद्यालय में निरीक्षण का पूर्ण अधिकार विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा निदेशक, मा० शि० द्वारा नामित पदाधिकारियों को होगा।
- (vii) विद्यालय में किसी भी तरह का शुल्क बढ़ाने से पूर्व उत्तरपर राज्य सरकार की रवीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (viii) प्रत्येक द्वितीय वर्ष में विद्यालय को प्राप्त आय का उपयोग किन-किन कार्यों में किया जाएगा, उसकी जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी तथा उसकी रवीकृति भी राज्य सरकार से लेनी होगी, साथ ही प्रतिवर्ष विद्यालय को प्राप्त आय का अंकोक्षण कराकर उसके प्रतिवेदन की एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- (ix) शिक्षक/शिक्षकलत्तरकर्मियों सहित शेष अन्य तरह के भूगतान त्रैक के भाईयम से ही किया जाएगा।
- (x) नामांकन की प्रक्रिया में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/जिला शिक्षा पदाधिकारी भी सम्मिलित होंगे।
- (xi) यह संस्था राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत होने वाले नियमों का अक्षररूप पालन करेगी।

- (xii) विद्यालय को जिस बत्र विशेष के लिए अनापस्त प्रमाण—पत्र निर्गत किया जा रहा है, उस बत्र विशेष के अतिरिक्त किसी और जगह पर संबंधित विद्यालय की कोई अन्य शाखा नहीं खोली जाएगी। यदि खोली जाती है तो उसके लिए अलग से अनापस्त प्रमाण—पत्र लेना अनिवार्य होगा।
- (xiii) एकत्र विधेयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के बोन्द्रधिकार के अन्तर्गत होगा।
- (xiv) यदि अनापस्त प्रमाण—पत्र निर्गत होने के उपरान्त किसी विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्त/सिद्धान्त की जच्छेतना/उल्लंघन की जानकारी प्राप्त होती है तो जांचोफरात तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि सबसित विद्यालय का अनापस्त प्रमाण—पत्र रद्द करते हुए सी०वी०एस०इ० को अपनी मान्यता समीक्षा करने हेतु सुवित कर दिया जाएगा।

दिश्वासमाजन,


निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखण्ड, राज्य।

डापक 7.8.3

दृष्टि दिवाक 12.3.2008 /

प्रतिलिपि—

माननीय मंत्री जी के आप संधिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी/धेरोव शिक्षा उप निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर, प्रमङ्गल, रांची/जिला, शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर/पांचाथ, छिम्पी विद्यालय, साउथपार्क, बिष्टुपुर, जमशेदपुर/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कोषांग का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखण्ड, राज्य।

For CHINMAYA VIDYALAYA
Shireen
SECRETARY